

श्री कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के संस्थापक सदस्यों में अग्रणी तथा महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं मंत्री श्रद्धेय श्री कृष्णदास जी जाजू की स्मृति में सन 1961 में इस ट्रस्ट की स्थापना की गई. इसका पंजीकरण सन 1964 में बंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के आधीन किया गया.

स्थापना के समय ट्रस्ट का मूल उद्देश्य जरूरत मंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना था, बाद में निराश्रित महिलाओं एवं असहाय वृद्धों को भी सहायता दी जाने लगी. ट्रस्ट माहेश्वरी समाज की निराश्रित महिलाओं तथा असहाय वृद्धों को स्वाभिमान के साथ आत्मग्लानी रहित जीवन जीने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अवसर के साथ साथ जरूरत मंद बच्चों को शिक्षा सहायता भी मुहैया करा कर समाज के वरिष्ठतम पीढ़ी एवं युवा पीढ़ी दोनों का ध्यान रख रही है.

अगर कोई सेवाभावी समाज बन्धु चाहे तो वार्षिक एक मुस्त सहयोग से किसी 1 निराश्रित व असहाय व्यक्ति को सहयोग प्रदान कर सकते हैं. सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि ऐसे पुनीत कार्य में स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग दे कर ट्रस्ट की सेवाओं को बल व गति प्रदान करें.

वर्तमान में ट्रस्ट करीब 500 असहाय एवं निराश्रित भाई या बहन को Rs.1000/- प्रतिमाह की दर से तथा करीब 100 विद्यार्थियों को वार्षिक Rs.3000 से Rs.5000 की छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहयोग पहुंचा रही है. इस तरह करीब 60 लाख रुपए की वार्षिक सहायता समाज बंधुओं को मिल रही है.

व्यवस्थापक न्यासी के रूप में श्री शंकरलालजी सोमानी, सूरत पिछले 9 वर्षों से में सेवा रत हैं.

योजना:-

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है.

1. जरूरत मंद विद्यार्थियों को वार्षिक Rs.3000 से Rs.5000 की छात्रवृत्ति दी जाती है.
2. असहाय एवं निराश्रित महिलाओं तथा वृद्धों को Rs.1000/- प्रतिमाह की दर से सहयोग दिया जाता है.

आवश्यक दस्तावेजों की सूची व मर्यादाएँ:-

1. आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी माहेश्वरी वृद्ध एवं महिला इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
2. जरूरत मंद कोई भी माहेश्वरी विद्यार्थी ट्रस्ट से छात्रवृत्ति ले सकता है.
3. सहायता हेतु आवेदन पत्र साफ साफ अक्षरों में भरा हुआ होना चाहिए. (आवेदन पत्र/फॉर्म महासभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है)
4. मासिक सहायता तीन वर्ष हेतु स्वीकृत की जाती है. उसके बाद भी अगर किसी को सहायता चाहिए तो उसके पुनः आवेदन करना पड़ता है.
5. पारिवारिक आर्थिक स्थिती का विवरण जैसे

- वर्तमान में परिवार के जीविकोपार्जन के श्रोत एवं विस्तृत विवरण
 - किसी अन्य श्रोत से सहायता या पेंशन आदि मिलता हो तो उसका विस्तृत विवरण
 - वर्तमान में देखभाल करने वाले व्यक्ति का विस्तृत विवरण जैसे नाम, पता, व्यवसाय आदि
6. अगर जाजू ट्रस्ट के पुराने लाभार्थी हों तो विस्तृत विवरण
 7. किन्हीं दो सिफारिस करता का पुरा नाम, पता व हस्ताक्षर (अगर किसी माहेश्वरी सभा या संगठन के पदाधिकारी हों तो मय रबर स्टाम्प)
 8. लाभार्थी के बैंक अकाउंट की विस्तृत जानकारी (बैंक का नाम एवं शाखा, पूरा पता, IFSC code, तथा चेक के पन्ने की नक़ल)
 9. उसके स्थाई या अस्थायी पते को प्रमाणित करता किसी भी सरकारी मान्यता पात्र दस्तावेज की प्रमाणित नक़ल
 10. सरकारी मान्यता पात्र किसी फोटो पहचान पत्र की प्रमाणित नक़ल

आवश्यक संपर्क सूत्र:-

1. क्षेत्र, जिला एवं प्रदेश अध्यक्ष
2. सहयोग केंद्र के ट्रस्टी/सदस्य, महासभा के कार्य समिती/कार्यकारी मंडल के सदस्य, प्रदेश सभा के अध्यक्ष, महिला संगठन एवं युवा संगठन के पदाधिकारी
3. महासभा के सभापति/मंत्री कार्यालय

कार्यालय का पता

श्री कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट

504, त्रिविध चेम्बर्स, रिंग रोड, सूरत-395002 (गुजरात)

Ph.: 0261-2328902, E-mail: skdjstrust@yahoo.com

PS: ये सूचनाएँ योजना की संक्षिप्त जानकारी हेतु सारांश के तौर पर प्रकाशित हैं. विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ एवं ट्रस्ट के कार्यालय पर उपलब्ध है; व्हावाहरिक तौर पर ट्रस्ट का विधान एवं नियमावली तथा व्यवस्थापकों का निर्णय अंतिम रूप से मान्य रहेगा.

